न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री मनोज कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 40/2020

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
कैलाश गिरी पुत्र जीतगिरी जाति गुंसाई निवासी बरनेल तहसील जायल जिला नागौर।		नायब तहसीलदार, जायल जिला नागौर।

उपस्थिति :–
1. श्री भूराराम बिकुनिया अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री ओमप्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

दिनांक:31.12.2020

निर्णय

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नायब तहसीलदार, जायल द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 35/2020 सरकार बनाम कैलाश गिरी में निर्णय दिनांक 09.09.2020 के तहत मौजा बरनेल के खसरा नं. 445 व 449 रकबा 7.08 बीघा गै.मु. अंगौर भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 18.09.2020 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 22.09.2020 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलांट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में नायब तहसीलदार जायल के प्रकरण सं. 35/2020 सरकार बनाम कैलाश गिरी के फर्द अहकाम दिनांक 19.08.20 से 09.09.20 की फोटोप्रति, निर्णय दिनांक 09.09.20 की फोटोप्रति, पटवारी रिपोर्ट की फोटोप्रति, नोटिस की फोटोप्रति, जांच रिपोर्ट की फोटोप्रति, निलामी इस्तहार की फोटोप्रति, खसरा गिरदावरी ग्राम बरनेल की फोटोप्रति, खसरा गिरदावरी ग्राम बरनेल संवत 2055, 2044, 2040 तथा 2069 की फोटोप्रति पेश की। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री ओमप्रकाश पूनिया राजकीय वकील उपस्थित हुए।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)–अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय जैर अपील गलत, विधि विरूद्व व मौके की स्थिति के विपरीत पारित किया होने से निरस्तनीय है।

{2}(II)–कथित भूमि अपीलांट के पूर्वजो के समय से कब्जा काश्त उपयोग उपभोग की रहती चली आयी है। किस्म गै.मु. अंगौर गलत दर्ज हो रखी है। उक्त भूमि कभी भी अंगौर के काम नही हुई है। राजस्व रेकर्ड मे बाद मे उक्त भूमि सिवाय चक दर्ज है तथा संवत 2030, 2031, 2032 व उसके पश्चात भी लगातार कब्जा काश्त दर्ज रहता चला आया है। जिसका गिरदावरी मे अंकन है तथा अपीलांट भूमिहीन काश्तकार की श्रेणी मे आता है। राज. सरकार द्वारा समय.समय पर पुराने कब्जा को नियमन/ऍलाट करने हेतु परिपत्र जारी किये गये है। अपीलांट भी उसी श्रेणी मे आता है व अपीलांट ने भी नियमन/ऍलाट की कार्यवाही सक्षम अधिकारी के समक्ष कर रखी है। लेकिन अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना एकतरफा मे आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जिससे आदेश जैर अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(III)–अपीलांट व उसके परिवार का पुराना कब्जा काश्त रहता चला आया है। जिससे पहले अपीलांट के पिता के नाम की टीपी दर्ज रही है व उसके पश्चात अपीलांट का कब्जा काश्त होने से अपीलांट के नाम भी टीपी दर्ज है। जिससे अपीलांट का पुराना कब्जा साबित है। आस पास अन्य लोगो को भूमियां ऍलाट हो रखी है। अपीलांट के साथ सोतेला व्यवहार किया गया है। अपीलांट नियमन का पात्र है।

अपर कलक्टर, नागौर

{2}(IV)–इस भूमि मे अपीलांट ने समय समय पर खाद डालकर व भूमि सुधार मे लाखो रू. खर्च किये है तथा खेत मे रहवासी छपरा बना हुआ है। अन्य कोई भूमि काश्त करसण व परिवार की जीविकोपार्जन के लिये व निवास के लिये नही है। इस भूमि से ही अपीलांट व उसके परिवार का जीवन यापन होता रहा है तथा आस पास कोई अंगौर नही है। केवल मात्र रेकर्ड मे किस्म गलत दर्ज होने के कारण अपीलांट के विरूद्व पटवारी ने राजनैतिक पार्टीबाजी व अपीलांट सो अदावत रखने वाले लोगो की झूठी शिकायत के आधार पर मिथ्या रिपोर्ट पेश कर कार्यवाही हाजा संचालित करवायी है। जबकि इस भूमि पर अपीलांट के पुराने कब्जे से किसी को भी कोई उजर आपति कभी नही रही है। अपीलांट अत्यंत गरीब काश्तकार है तथा पुराना कब्जा होने से परिपत्रों के अनुसार नियमन का पात्र है। ऐसी स्थिति मे अपीलांट की पीठ पीछे उसे सुने बिना पारित आदेश जैर अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(V)–अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलांट दिनांक 3.9.20 को उपस्थित हुआ। उस समय अपीलांट के हस्ताक्षर करवा कर यही बताया कि आगामी पेशी पर जवाब पेश कर देना व आगामी पेशी अपनी मर्जी से कांट छांट कर 9.9.20 अंकित की है। इस प्रकार अपीलांट को जानबूझकर सुनवाई से वंचित रखा गया है।

{2}(VI)–हस्तगत प्रकरण मे बिना किसी प्रकार की जांच किये व नायब तहसीलदार ने स्वयं के स्तर पर मौका निरीक्षण किये बिना, अपीलांट को जवाबदेही व साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिये बिना तथा मौके पर अपीलांट का पुराना कब्जा काश्त होने बाबत जांच किये बिना व उक्त भूमि के संबंध मे नियमन पत्रावली लंबित होने की जांच किये बिना, उक्त आदेश पारित किया है। ऐसी स्थिति मे नियमन पत्रावली की कार्यवाही का औचित्य ही समाप्त हो जायेगा। इस प्रकार बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये आदेश पारित किया गया होने से विधि गैर कानूनी निर्णय है तथा अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(VII)–अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को न तो पटवारी से जिरह का अवसर दिया न ही अन्य कोई साक्ष्य सबूत पेश करने का उचित अवसर प्रदान किया, इतना ही नही आनन फानन मे उक्त आदेश की आड मे पटवारी ने पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर फसल नीलामी का नोटिस भी दिनांक 16.9.20 को दे दिया व प्रार्थी द्वारा कर्जा लेकर काश्त की हुई फसल को नीलाम करने की तैयारी की जा रही है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थी के साथ घोर अन्याय हो रहा है। इस कारण कथित अवैध कार्यवाही को रूकवाना आवश्यक होने से भी अपील पेश की है।

{3}–राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा मौजा बरनेल में स्थित गै.मु. अंगौर भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके बरनेल के खसरा नंबर 445 व 449 गै.मु. अंगौर भूमि पर अपीलांट का अतिक्रमण किया जाना अभिलेख से पाया गया। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलांट का अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित होना अभिलेख से साबित भी है। आराजी भूमि की किस्म गै.मु. अंगौर है। जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दि. 02.08.04 की अनुपालना में अंगौर भूमि पर पूर्व किए गए आवंटन/नियमन को निरस्त करवाए जाने हेतु रेफरेंस तैयार कर सम्बन्धित न्यायालयों में पेश भी किये जा रहे हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत अंगौर किस्म की भूमि का आवंटन/नियमन किया जाना निषेधित है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील कायम रखा जाता है।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
अपर कलक्टर,
नागौर

अपर कलक्टर, नागौर